[ 2021 ] 7 एस. सी. आर. 269

सतबीर सिंह और एक और

वी.

हरियाणा राज्य

( आपराधिक अपील सं। 1735-1736 2010)

28 मई, 2021

[ एन. वी. रमना, सीजेआई, और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: एस. 304 बी-दहेज मृत्यु-अभियोजन मामले के तहत दोषसिद्धि कि पीड़िता ने खुद को स्थापित करके आत्महत्या कर ली

उसकी शादी के ठीक एक साल बाद उसे आग लगा दी गई और उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले, आरोपी द्वारा कम दहेज लाने के लिए उसे क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा।

अपराध यू/एस। 304 बी और 306 क्रमशः 7 वर्ष और 5 वर्ष के कठोर कारावास के साथ उच्च न्यायालय ने आदेश को बरकरार रखा

विचारण न्यायालय-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः अभियोजन पक्ष सफलतापूर्वक यह साबित करने में सक्षम था कि जलने की चोटों के कारण पीड़ित की मृत्यु उसकी शादी के एक साल के भीतर हुई थी-यह साबित हो गया है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसे दहेज की मांगों के अनुसार उत्पीड़न और क्रूरता का सामना करना पड़ा था-परिस्थितियों की श्रृंखला साबित करती है कि दहेज की मांग और पीड़ित की मृत्यु के मामलों के बीच एक जीवित और निकट संबंध था-गवाहों के बयान पुष्टि करने वाले, सुसंगत और विश्वसनीय थे। 113 बी अभियुक्त द्वारा खंडन नहीं किया गया-इस प्रकार, उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने अभियुक्त यू/एस को सही तरीके से दोषी ठहराया। 304 - बी-अपराध यू/एस के संबंध में। 306 , अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई, इस प्रकार, दोषसिद्धि और

वाक्य यू/एस। 306 साक्ष्य अधिनियम, 1872 को दरकिनार कर दिया गया है। 113 बी, 113 ए। एस. 304 बी-वाक्यांश 'जल्द ही पहले'-की व्याख्या-आयोजितः एस में वाक्यांश 'जल्द ही पहले'। 304 बी का अर्थ नहीं लिया जा सकता है

इससे तुरंत पहले-सख्त व्याख्या अधिनियमन के उद्देश्य को ही विफल कर देगी-इस न्यायालय द्वारा यह परिभाषित करने के लिए कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि इससे पहले के वाक्यांश में क्या सटीक है, इसलिए, न्यायालयों को यह निर्धारित करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए कि क्या क्रूरता या उत्पीड़न और पीड़ित की मृत्यु के बीच की अवधि जल्द ही पहले की अवधि के भीतर आएगी-क्रूरता और पीड़ित की परिणामी मृत्यु के बीच एक निकट और जीवित संबंध की स्थापना, उक्त निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. 304 बी-दहेज मृत्यु-श्रेणीकरण मृत्यु, हत्या के रूप में

या आत्मघाती या आकस्मिक-कबूतर छेद दृष्टिकोण-आयोजितः s.304 B मृत्यु को हत्या या आत्महत्या या आकस्मिक कारण के रूप में वर्गीकृत करने में कबूतर छेद दृष्टिकोण नहीं लेता है। वर्गीकरण इस तथ्य के कारण है कि सामान्य परिस्थितियों की तुलना में अन्यथा होने वाली मृत्यु, मामलों में, हत्या या आत्महत्या या आकस्मिक हो सकती है।

एस. 304 बी-संहिता में, विधायी इतिहास का समावेश

-

समझाया गया।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: एस. 113 - बी-दहेज मृत्यु के बारे में अनुमान

का खंडन-आयोजितः जब अभियोजन पक्ष यह दिखाता है कि जल्द ही पहले

उसकी मृत्यु ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रूरता का शिकार बनाया गया है

या दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में उत्पीड़न, अभियुक्त के खिलाफ कारण का अनुमान उत्पन्न होता है। 113 बी-इसके बाद, अभियुक्त को इस वैधानिक धारणा का खंडन करना होगा।

कारणात्मकता के खंडन योग्य अनुमान का उपयोग, यू/एस। 113 बी ए बनाता है

न्यायाधीशों, बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष पर अधिक जिम्मेदारी-उन्हें एस से संबंधित आपराधिक मुकदमों के संचालन के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 304 - बी.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एसएस। 233 , 232 – प्रवेश कर रहा है

बचाव-अभियुक्त यू/एस का अधिकार। 233 - आयोजित किया गयाः एस के तहत। 232 यदि अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य लेने, अभियुक्त की जांच करने और इस मुद्दे पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को सुनने के बाद, न्यायाधीश यह मानता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो न्यायाधीश बरी होने का आदेश दर्ज करेगा-एक बार जब निचली अदालत यह निर्णय लेती है कि अभियुक्त एस के प्रावधानों के अनुसार बरी होने का पात्र नहीं है। 232 , उसे आगे बढ़ना चाहिए और विशेष रूप से बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए सुनवाई तय करनी चाहिए, जिसमें अभियुक्त को यू/एस द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। 233 , जो

अभियुक्त को प्रदान किया गया एक अमूल्य अधिकार भी है-इस तरह के प्रक्रियात्मक अधिकार का अस्तित्व सुसंगत रूप से खंडन योग्य धारणा के साथ बैठता है जैसा कि यू/एस प्रदान किया गया है। 113 बी, साक्ष्य अधिनियम।

न्यायिक दिशानिर्देशः दहेज मृत्यु के मामले-सुनवाई-आयोजितः दिशानिर्देश दहेज मृत्यु मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित किए गए हैं।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 एस के महत्व को ध्यान में रखते हुए। 304 - बी आई. पी. सी., ए सख्त व्याख्या उसी उद्देश्य को पराजित करेगी जिसके लिए वह सतबीर सिंह और अन्य बनाम थी।

अधिनियमित किया। इसलिए, यह अनुमान लगाना सुरक्षित है कि जब विधायिका ने 'जल्द ही पहले' शब्दों का उपयोग किया था, तो उनका मतलब तुरंत पहले नहीं था। बल्कि, उन्होंने अपना निर्णय अदालतों के हाथों में छोड़ दिया। क्रूरता या उत्पीड़न का तथ्य मामले-दर-मामले अलग-अलग होता है। यहां तक कि क्रूरता का दायरा भी काफी भिन्न है, क्योंकि यह शारीरिक, मौखिक या भावनात्मक भी हो सकता है। यह सूची निश्चित रूप से संपूर्ण नहीं है। इसलिए इस न्यायालय द्वारा यह परिभाषित करने के लिए कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जल्द ही पहले वाले वाक्यांश में क्या शामिल है। इसलिए, न्यायालयों को यह निर्धारित करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए कि क्या क्रूरता या उत्पीड़न और पीड़ित की मृत्यु के बीच की अवधि जल्द ही पहले की अवधि के भीतर आ जाएगी। उपरोक्त निर्धारण के लिए जो महत्वपूर्ण है, वह क्रूरता और पीड़ित की परिणामी मृत्यु के बीच एक निकट और जीवित संबंध की स्थापना है। [ पैरा 14,15] [282-सी-ई; 283-ए-बी]

मेजर सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2015) 5 एससीसी 201: [ 2015 ] 5 एससीआर 777; सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी (2018) 9 एस. सी. सी. 1: [ 2018 ] 7 एस. सी. आर. 1191; [गुजरात राज्य बनाम। मनसुखभाई कांजीभाई शाह 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 412]; कंस राज बनाम। पंजाब राज्य (2000) 5 एससीसी 207: [ 2000 ] 3 एस. सी. आर. 662; राजिंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2015) 6 एससीसी

477 [ 2015 ] 2 एस. सी. आर. 835-संदर्भित

1.2 जब अभियोजन पक्ष यह दर्शाता है कि "ऐसी महिला को उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रूरता का शिकार बनाया गया है या

दहेज की किसी भी मांग के लिए उत्पीड़न या उसके संबंध में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत आरोपी के खिलाफ कारण का अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद, अभियुक्त को इस वैधानिक धारणा का खंडन करना पड़ता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत कार्य-कारण के खंडन योग्य अनुमान का उपयोग न्यायाधीशों, बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष पर अधिक जिम्मेदारी पैदा करता है। आई. पी. सी. की धारा 304 बी से संबंधित आपराधिक मुकदमे के दौरान उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस अनिश्चित स्थिति से निपटने के लिए प्रक्रियात्मक कानून में कुछ सुरक्षा उपाय हैं। [ पैरा 16,19] [283-बी-सी; 284-ए-सी]

बंसी लाल बनाम। हरियाणा राज्य (2011) 11 एससीसी 359:

[ 2011 ] 1 एस. सी. आर. 724-संदर्भित [2021] 7 एस. सी. आर.

1.3 यह गंभीर चिंता का विषय है कि, अक्सर, निचली अदालतें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत एक आरोपी का बयान दर्ज करती हैं।

अभियुक्त के बचाव के बारे में विशेष रूप से सवाल किए बिना, बहुत ही लापरवाह और सरसरी तरीके से। धारा 313, सी. आर. पी. सी. के तहत एक आरोपी की जांच को केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकता के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह निष्पक्षता के मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रावधान में प्राकृतिक के मूल्यवान सिद्धांत को शामिल किया गया है।

न्याय "ऑडी अल्टरम पार्टेम", क्योंकि यह अभियुक्त को उसके खिलाफ पेश होने वाली आपत्तिजनक सामग्री के लिए स्पष्टीकरण देने में सक्षम बनाता है।

मुकदमे की शुरुआत के बाद से, उचित समय के साथ अपना बचाव तैयार करें सावधान, धारा 304 बी, आई. पी. सी. की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, धारा 113 बी, साक्ष्य अधिनियम के साथ पढ़ा जाता है। [ पैरा 20] [284-सी-एफ]

1.4 धारा 232, सी. आर. पी. सी. का महत्व है, जिसमें कहा गया है, "यदि अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य लेने, अभियुक्त की जांच करने और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को इस मुद्दे पर सुनने के बाद, न्यायाधीश मानता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो न्यायाधीश बरी होने का आदेश दर्ज करेगा।" एक बार जब निचली अदालत यह निर्णय लेती है कि आरोपी धारा 232 के प्रावधानों के अनुसार बरी होने का पात्र नहीं है, तो यह

आगे बढ़ना चाहिए और विशेष रूप से बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए सुनवाई तय करनी चाहिए, जिसमें अभियुक्त को अपने बचाव को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए।

हत्या या आत्महत्या या दुर्घटना के रूप में मृत्यु, जैसा कि पहले किया गया था। इस तरह के गैर-वर्गीकरण का कारण यह है कि "सामान्य परिस्थितियों की तुलना में अन्यथा" होने वाली मृत्यु, मामलों में, हत्या या आत्महत्या या आकस्मिक हो सकती है। हालांकि, धारा 304 बी उन स्थितियों को भी संबोधित करने का प्रयास करती है जिनमें

हत्या या आत्महत्या को दुर्घटनाओं का रूप दिया जाता है।

इस प्रकार, यदि सभी सतबीर सिंह और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य

आई. पी. सी. की धारा 304 बी के अन्य घटकों को पूरा किया जाता है, कोई भी मौत चाहे वह जलने या शारीरिक चोट के कारण हो या सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्यथा हो, विधायी के अनुसार आदेश को "दहेज मृत्यु" कहा जाए और महिला के पति या उसके रिश्तेदार को "उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा" जब तक कि अन्यथा साबित न हो। यह धारा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि दहेज मृत्यु का अपराध क्या है और एकल अपराधी या कई अपराधियों की भी पहचान करती है जिन्होंने दहेज मृत्यु की है या जिसका कारण बना है। [ पारस 22,23] [284-एच; 285-ए-डी]

माया देवी बनाम। हरियाणा राज्य (2015) 17 एससीसी 405: [ 2015 ] 11 एससीआर 903; शांति बनाम। हरियाणा राज्य (1991) 1 एससीसी 371: [ 1990 ] 2 पूरक। एस. सी. आर. 675-संदर्भित।

1.6 तत्काल मामले में, मृतक पीड़ित ने जलने से दम तोड़ दिया। जैसा कि मौत सात के भीतर जलने की चोटों से संबंधित थी विवाह के वर्षों में, यह स्पष्ट रूप से अपराध के पहले दो घटकों को संतुष्ट करता है। [ पैरा 25] [285-ई-एफ]

1.7 परिस्थितियों की श्रृंखला यह साबित करती है कि दहेज की मांग के उदाहरणों के बीच एक जीवित और निकट संबंध था और मृतक की मृत्यु। निचली अदालत और उच्च न्यायालय, उक्त गवाहों की बारीकी से सराहना करने पर

उसकी शादी के लगभग एक साल के भीतर जगह। यह आगे साबित हो गया है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसे दहेज की मांग के तहत उत्पीड़न और क्रूरता का सामना करना पड़ा था। चूंकि आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तत्व संतुष्ट हैं, इसलिए धारा 113 बी, साक्ष्य अधिनियम के तहत धारणा अपीलार्थियों के खिलाफ काम करती है। जिन्हें आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत निर्दिष्ट अपराध का कारण माना जाता है। [ पैरा 28] [286-डी-एफ]

1.9 इसलिए आरोपित पर यू/एस की धारणा का खंडन करने का बोझ पड़ता है। 113 - बी. हालाँकि, अभियुक्त व्यक्ति विफल रहे [2021] 7 एस. सी. आर.

यह साबित करने के लिए कि मृत्यु दुर्घटनावश हुई थी या अभियुक्त व्यक्तियों से असंबद्ध थी, कोई भी सबूत रिकॉर्ड पर रखना। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, डॉक्टर के साक्ष्य के अनुसार, मृतक के पूरे शरीर पर मिट्टी का तेल डाला गया था। इसलिए, दुर्घटना की संभावना को सुरक्षित रूप से खारिज किया जा सकता है। इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी में संयुग्मित धारणा यह मानती है कि इस विशेष मामले में पूर्ण प्रभाव, जिसका अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा खंडन नहीं किया गया है। अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए इस न्यायालय के लिए निम्न न्यायालयों की समवर्ती राय में हस्तक्षेप करने का मामला बनाने में विफल रहे हैं। [ पारस 29-31] [286-F-H; 287-B-C]

1.10 आई. पी. सी. की धारा306 के तहत अपराध के लिए अभियोजन पक्ष

सबसे पहले यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि आत्महत्या की गई है।

दूसरा, अभियोजन पक्ष को यह भी साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया है। उसी में सक्रिय भूमिका। इस बाद की आवश्यकता के संबंध में, धारा 113 ए, साक्ष्य अधिनियम कुछ शर्तों के तहत एक विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में पति और/या उसके रिश्तेदार के खिलाफ एक धारणा बनाता है। प्रावधान के अवलोकन से संकेत मिलता है कि ऐसी धारणा केवल तभी आकर्षित होगी जब अभियोजन पक्ष द्वारा आत्महत्या का तथ्य स्थापित किया गया हो।

सबसे पहले। [ पैरा 33] [287-ई-जी]

वज़ीर चंद बनाम। हरियाणा राज्य (1989) 1 एससीसी 244 -

उल्लेख किया गया है

निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष मान्यताओं पर आधारित है, क्योंकि इसका समर्थन करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। आत्महत्या के तथ्य को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूत थे, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के तहत अनुमान, अभियोजन पक्ष के लिए बहुत मददगार नहीं है। मृतक के आत्महत्या करने का आवश्यक तत्व साबित नहीं हुआ है अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करके। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई है। [ पैरा 34,35] [288-बी-सी, डी-एफ]

1.12 आई. पी. सी. की धारा 304 बी, धारा 113 बी, साक्ष्य अधिनियम के तहत कानून का सारांश नीचे दिया जा सकता हैः

सतबीर सिंह और एक और बनाम। हरियाणा राज्य

आई. आई. पी. सी. की धारा 304 बी की व्याख्या दुल्हन को जलाने और सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाने के विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

दहेज की मांग।

ii. अभियोजन पक्ष को सबसे पहले धारा के तहत अपराध के गठन के लिए आवश्यक सामग्री के अस्तित्व को स्थापित करना चाहिए। 304 बी, आई. पी. सी.। एक बार जब ये तत्व संतुष्ट हो जाते हैं, तो धारा 113 बी, साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रदान की गई कार्य-कारण की खंडन योग्य धारणा अभियुक्त के खिलाफ काम करती है।

iii. आई. पी. सी. की धारा 304 "बी" में दिखाई देने वाले वाक्यांश "जल्द ही पहले" का अर्थ तुरंत पहले नहीं माना जा सकता है। द. अभियोजन पक्ष को दहेज मृत्यु और पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग के लिए क्रूरता या उत्पीड़न के बीच "निकट और जीवित संबंध" का अस्तित्व स्थापित करना चाहिए।

iv. आई. पी. सी. की धारा 304 बी कबूतर के छेद के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाती है।

मृत्यु को हत्या या आत्महत्या या आकस्मिक के रूप में वर्गीकृत करने में। इस तरह के गैर-वर्गीकरण का कारण इस तथ्य के कारण है कि "सामान्य परिस्थितियों की तुलना में अन्यथा" होने वाली मृत्यु, मामलों में, हत्या या आत्महत्या या आकस्मिक हो सकती है। वी. आई. पी. सी. की धारा 304 बी की अनिश्चित प्रकृति के कारण, जिसे 113 बी के साथ पढ़ा जाता है, साक्ष्य अधिनियम, न्यायाधीशों, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को

vi. यह गंभीर चिंता का विषय है कि, अक्सर, निचली अदालतें सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान को बहुत ही लापरवाही से दर्ज करती हैं। और सरसरी तरीके से, अभियुक्त से विशेष रूप से पूछताछ किए बिना

उसकी रक्षा के बारे में। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत किसी आरोपी की जांच को केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकता के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह निष्पक्षता के मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। उक्त प्रावधान में प्राकृतिक न्याय के मूल्यवान सिद्धांत "ऑडी अल्टरम पार्टेम" को शामिल किया गया है क्योंकि यह अभियुक्त को उसके खिलाफ पेश होने वाली आपत्तिजनक सामग्री के लिए स्पष्टीकरण देने में सक्षम बनाता है। इसलिए, यह अदालत पर एक दायित्व लगाता है कि वह सावधानी और सावधानी के साथ आरोपी से निष्पक्ष रूप से पूछताछ करे। vii. न्यायालय को अभियुक्त के सामने दोषपूर्ण परिस्थितियों को रखना चाहिए और उसका जवाब मांगना चाहिए। एक कर्तव्य भी लगाया जाता है

[2021] 7 एस. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए, मुकदमे की शुरुआत से ही सावधानी के साथ अपना बचाव तैयार करने के लिए अभियुक्त का वकील।

आई. पी. सी. की धारा 304 बी, धारा 113 बी, साक्ष्य अधिनियम के साथ पठित विशेषताएँ।

viii. धारा 232, सी. आर. पी. सी. में प्रावधान है कि, "यदि, अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य लेने के बाद, अभियुक्त की जांच और सुनवाई।

अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष इस मुद्दे पर, न्यायाधीश का मानना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, न्यायाधीश बरी करने का आदेश दर्ज करेगा। इस तरह के विवेक का उपयोग निचली अदालतों द्वारा सर्वोत्तम प्रयासों के दायित्व के रूप में किया जाना चाहिए।

ix. एक बार जब निचली अदालत यह निर्णय ले लेती है कि आरोपी धारा 232, सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार बरी होने का पात्र नहीं है, तो उसे आगे बढ़ना चाहिए और विशेष रूप से बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए सुनवाई तय करनी चाहिए, जिसमें आरोपी को अपने बचाव पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया, जो अभियुक्त को प्रदान किया गया एक अमूल्य अधिकार भी है।

x. इसी तरह, निचली अदालतों को अन्य महत्वपूर्ण विचारों जैसे कि त्वरित सुनवाई के अधिकार को संतुलित करने की आवश्यकता है। में।

इस संबंध में, प्रावधानों को देरी की रणनीति के रूप में दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

xi. पीठासीन न्यायाधीश को सजा सुनाते समय और उचित आदेश देते समय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

सजा।

xii. निस्संदेह, दहेज हत्या का खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। हालांकि, यह भी देखा गया है कि कभी-कभी परिवार

1.13 प्रासंगिक सामग्री और उपलब्ध साक्ष्य को देखने के बाद, यह पाया गया है कि उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं को आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की है क्योंकि अपीलकर्ता धारा 113 बी, साक्ष्य अधिनियम के तहत बोझ उठाने में विफल रहे हैं। हालांकि, तथ्यों की सराहना पर और परिस्थितियों में आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध नहीं बनाया गया है। इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया जाता है। [ पैरा 37] [290-ई-जी] सतबीर सिंह और अन्य बनाम।

हरियाणा राज्य

हत्या पर वैश्विक अध्ययनः लिंग-संबंधी हत्या

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित महिलाएँ और लड़कियां

ड्रग्स एंड क्राइम पर कार्यालय-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[ 2015 ] 5 एससीआर 777

उल्लेख किया गया है

पै

रा 8

[ 2018 ] 7 एससीआर 1191

पै

रा 9

उल्लेख किया गया है

[ 2000 ] 3 एससीआर 662

उल्लेख किया गया है

पै

रा 14

[ 2015 ] 2 एससीआर 835

उल्लेख किया गया है

पै

रा 14

[ 2011 ] 1 एससीआर 724

उल्लेख किया गया है

पै

रा 17

[ 2015 ] 11 एससीआर 903

उल्लेख किया गया है

पै

रा 23

[ 1990 ] 2 पूरक। एस. सी. आर. 675 संदर्भित

पै

रा 23

[ 1989 ] 1 एससीसी 244

उल्लेख किया गया है

पै

रा 33

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 1735-1736 2010 का

उच्च न्यायालय के 06.11.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार की आपराधिक अपील संख्या 3-एस. बी. और

16 - एस. बी. 1998 में एफ. आई. आर. सं. दिनांक 31.07.1995 u/s 304B/306/34।

दिव्यदीप चतुर्वेदी, नवीन शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

राज सिंह राणा, एएजी, पंकज कुमार सिंह, संजय कुमार विसेन,

अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एन. वी. रमना, सीजेआई

1. वर्तमान अपील दिनांकित विवादित निर्णय से उत्पन्न होती हैं।

06.11.2008 चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील सं। 3 - 1998 का एस. बी. और 1998 का 16-एस. बी., जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा की गई अपीलों को खारिज कर दिया।

अपीलार्थियों ने 11.12.1997 पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बरकरार रखा।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक और आरोपी

अपीलार्थी नं. 1 01.07.1994 पर शादी की थी। आई. डी. 1 को शाम करीब 4 बजे या 4:30 बजे कुछ लोगों ने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि उसकी बेटी [2021] 7 एस. सी. आर. है।

बीमार और अस्पताल में भर्ती। इस सूचना पर वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ अस्पताल पहुंचे और पाया कि मृतक की जलने से मौत हो गई है। अभियोजन पक्ष का मामला था कि मृतक

3. अपीलार्थियों को निचली अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 304-बी और 376 के तहत अपराधों के लिए दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से दोषी ठहराया था और उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए और आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पांच साल के लिए कठोर कारावास से गुजरना।

4. इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने मुकदमे द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

अदालत। उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.11.2008 के विवादित फैसले के माध्यम से, निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया

याचिकाकर्ता। अपीलकर्ताओं ने नीचे दिए गए न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की है।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ऐसी कोई सामग्री नहीं दिखा पाए हैं जो नीचे दिए गए न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में इस न्यायालय के हस्तक्षेप के योग्य हो। वकील ने विशेष रूप से इस तथ्य पर जोर दिया कि मृतक पीड़ित की संदिग्ध मृत्यु शादी के लगभग 1 साल के भीतर हुई थी। इसके अलावा, गवाहों ने दहेज की मांग के विशिष्ट उदाहरणों को निरंतरता के साथ बताया है। 7. दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन करने के बाद, इस न्यायालय को निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता हैः

क्या विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय इस मामले में सही थे

आई.

धारा 304 बी के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए,

आई. पी. सी.?

सतबीर सिंह और एक और बनाम। हरियाणा राज्य

[ एन. वी. रमना, सीजेआई]

क्या विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय इस मामले में सही थे

आईएल

धारा 376 के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए,

आई. पी. सी.?

मुद्दा I

8. सबसे पहले, दहेज मृत्यु पर कानून का विश्लेषण करना उचित है। आई. पी. सी. की धारा 304-बी, जो दहेज के लिए सजा को परिभाषित और प्रदान करती है। माँग, निम्नानुसार हैः

" 304 - बी. दहेज मृत्यु। — ( 1 ) जहाँ किसी महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या अन्यथा होती है

उसकी शादी के सात वर्षों के भीतर सामान्य परिस्थितियों में और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसे

दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में पति की ऐसी मृत्यु को 'दहेज मृत्यु' कहा जाएगा और ऐसा पति या रिश्तेदार उसकी मृत्यु का कारण समझा जाएगा। स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, 'दहेज' का वही अर्थ होगा जो दहेज निषेध की धारा 2 में है।

अधिनियम, 1961 (1961 का 28)।

( 2 ) जो कोई भी दहेज हत्या करता है उसे दंड दिया जाएगा

सात वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास

लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है।

धारा 304 बी (1) एक महिला की 'दहेज मृत्यु' को परिभाषित करती है। यह प्रदान करता है

कि 'दहेज मृत्यु' वह जगह है जहाँ एक महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोटों के कारण होती है या सामान्य परिस्थितियों में विवाह के सात वर्षों के भीतर होती है, और यह दिखाया जाता है कि उससे कुछ समय पहले मृत्यु होने पर, उसे दहेज की मांग के संबंध में उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। उपखंड (2) उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान करता है जो दहेज मृत्यु का कारण बनते हैं। तदनुसार, मेजर सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (2015) 5 एस. सी. सी. 201, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 10. आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए,

निम्नलिखित आवश्यक अवयवों को स्थापित किया जाना हैः

महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक कारण से होनी चाहिए।

( (i)

चोट या अन्यथा एक 'सामान्य परिस्थिति' के तहत; [2021] 7 एस. सी. आर.

( (ii) ऐसी मृत्यु सात वर्षों के भीतर हुई होनी चाहिए थी।

उसकी शादी;

( (ग) वह अपने पति या अपने पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार हुई होगी। ( (iv) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न उसके लिए या उसके संबंध में होना चाहिए।

दहेज की मांग के साथ; और

( v) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न को अंजाम दिया गया है।

स्त्री को उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले।

9. आई. पी. सी. की धारा 304-बी की व्याख्या में मौजूद पहला विवादास्पद भाग धारा में उपयोग किए गए वाक्यांश "जल्द ही पहले" से संबंधित है। एक आपराधिक क़ानून होने के कारण, आम तौर पर इसकी सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। हालांकि, जहां सख्त व्याख्या बेतुकी हो जाती है या इसके खिलाफ जाती है

विधान की भावना के अनुसार, न्यायालय उचित मामलों में ऐसी अस्पष्टताओं को हल करने के लिए अपने सामान्य अर्थों में लिए गए शब्दों के वास्तविक महत्व पर भरोसा कर सकते हैं। [ सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) को संदर्भित करें,

मुंबई बनाम. दिलीप कुमार एंड कंपनी (2018) 9 एस. सी. सी. 1, गुजरात राज्य बनाम। मनसुखभाई कांजीभाई शाह, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 412]। इस मोड़ पर, इस धारा के विधायी इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि इसके इरादे को निर्धारित किया जा सके - आई. पी. सी. की धारा 304-बी को शामिल करने के पीछे विधायिका।

10. धारा 304-बी, आई. पी. सी. लंबे समय से चली आ रही सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए संसद द्वारा की गई कई विधायी पहलों में से एक है। द.

दहेज उत्पीड़न की घातक प्रकृति, जिसमें विवाहित महिलाओं को पति द्वारा लालची मांगों के कारण क्रूरता का सामना करना पड़ रहा है और उसके रिश्तेदारों का ध्यान नहीं गया है। संसद ने इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए पहले कदम के रूप में दहेज निषेध अधिनियम, 1961 लागू किया। इसके अलावा, चूंकि उपाय अपर्याप्त पाए गए थे, इसलिए आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम 46) पारित किया गया था, जिसमें आई. पी. सी. में धारा 498-ए सहित अध्याय XX-A पेश किया गया था।

11. हालाँकि, उपरोक्त उपायों के बावजूद, दहेज उत्पीड़न का मुद्दा अभी भी प्रचलित था। इसके अतिरिक्त, दहेज की माँग के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में युवा दुल्हनों की मृत्यु की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। विधि आयोग ने अपनी 91 वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में दहेज से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त कानून

की आवश्यकता पर स्वतः संज्ञान लिया था। विधि आयोग ने मान्यता दी कि आई. पी. सी., जैसा कि सतबीर सिंह और अन्य बनाम में मौजूद था।

हरियाणा राज्य

[ एन. वी. रमना, सीजेआई]

उस प्रासंगिक समय, अपराध की प्रकृति और कार्यप्रणाली के कारण दहेज से होने वाली मौतों के मुद्दे से निपटने के लिए अपर्याप्त था। उन्होंने निम्नलिखित रूप में अवलोकन कियाः

" 1.3 यदि, दहेज मृत्यु की किसी विशेष घटना में, तथ्य ऐसे हैं

कानून, और यदि उन तथ्यों को बिना किसी कठिनाई के साबित किया जा सकता है, अपराधी को लाने के लिए मौजूदा आपराधिक कानून का सहारा लिया जा सकता है

बुक करें। हालाँकि, व्यवहार में दो मुख्य बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

( i) या तो तथ्य किसी भी ज्ञात कबूतर के छेद में पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं।

अपराध; या

( (ii) स्थिति की विशिष्टताएँ ऐसी हैं कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण

इस प्रकार दोषपूर्ण तथ्यों को कठिन बना दिया जाता है।

( जोर दिया गया)

12. उपरोक्त विधि आयोग को ध्यान में रखते हुए

रिपोर्ट, और दहेज संबंधी अपराधों से संबंधित निरंतर मुद्दों पर, संसद ने दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन पेश किए, जैसे -

साथ ही दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम 43) लागू करके आई. पी. सी.। इस संशोधन के माध्यम से, धारा 304-बी, आई. पी. सी. को विशेष रूप से आई. पी. सी. में भारत में दहेज मृत्यु के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए एक कड़े प्रावधान के रूप में पेश किया गया था। श्रीमती मार्गरेट अल्वा, जिन्होंने राज्यसभा के समक्ष संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" यह एक सामाजिक बुराई और सामाजिक कानून है, जैसा कि मैंने कहा कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता है।

हर चीज। हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे कैसे और कहाँ बना सकते हैं।

थोड़ा और कठिन और इसलिए हमने बढ़ा दिया है सजा। हमने कुछ अनुमानों के लिए भी प्रावधान किया है।

क्योंकि अब तक हमारी मुख्य समस्याओं में से एक सवाल रहा है सबूतों से। क्योंकि दुल्हन को आम तौर पर जला दिया जाता है या पत्नी को

उसके ससुराल में बंद दरवाजों के पीछे जला दिया। आपने कभी नहीं किया।

वास्तव में एक लड़की के खाना बनाते समय जलने के बारे में सुना है

माँ का घर या उसके पति का घर। वह हमेशा में है

सास के घर में आग लग जाती है और वह जल जाती है

रसोईघर। इसलिए, तुरंत सबूत प्राप्त करना

यह एक बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए, हम लाए हैं

जहाँ सबूत का भार पति और उसके पास चला जाता है लोगों को यह दिखाने के लिए कि यह दहेज मृत्यु नहीं थी या यह थी

जानबूझकर नहीं किया गया। "

( जोर दिया गया)

21 ] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. इस बात से कोई इनकार नहीं है कि ऐसी सामाजिक बुराई बनी हुई है

आज। "होमिसाइड पर वैश्विक अध्ययन" शीर्षक वाला एक अध्ययनः ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा प्रकाशित महिलाओं और लड़कियों की लिंग-संबंधी हत्या ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2018 में भारत में सालाना दर्ज की जाने वाली सभी महिला हत्याओं में 40 से 50 प्रतिशत महिला दहेज हत्याएं हैं। निराशाजनक सच्चाई यह है कि 1999 से 2016 की अवधि तक ये आंकड़े स्थिर रहे हैं। वास्तव में, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 2019 में ही अकेले आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत 7115 मामले दर्ज किए गए थे।

14. इस तरह के कानून के महत्व को ध्यान में रखते हुए,

व्याख्या उसी उद्देश्य को पराजित करेगी जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया था।

इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित है कि जब विधायिका ने "जल्द ही पहले" शब्दों का उपयोग किया, तो उनका अर्थ "तुरंत पहले" नहीं था। बल्कि, उन्होंने अपना निर्णय अदालतों के हाथों में छोड़ दिया। क्रूरता का तथ्य या उत्पीड़न अलग-अलग मामलों में अलग-अलग होता है। यहां तक कि क्रूरता का दायरा भी काफी भिन्न है, क्योंकि यह शारीरिक, मौखिक या भावनात्मक भी हो सकता है।

यह सूची निश्चित रूप से संपूर्ण नहीं है। इसलिए इस न्यायालय द्वारा यह परिभाषित करने के लिए कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि "जल्द ही पहले" वाक्यांश का सटीक अर्थ क्या है। कंस राज बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर जोर दिया गया था। पंजाब राज्य, (2000) 5 एस. सी. सी. 207, जिसमें तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया किः

" 15. ..... " जल्द ही पहले "एक सापेक्ष शब्द है जो होना आवश्यक है

प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में विचार किया जाता है और नहीं

स्ट्रैटजैकेट सूत्र को किसी भी समय-सीमा को तय करके निर्धारित किया जा सकता है।

..... दहेज मृत्यु के संबंध में, परिस्थितियाँ दर्शाती हैं

मृतक के प्रति क्रूरता या उत्पीड़न का अस्तित्व है किसी विशेष उदाहरण तक सीमित नहीं है लेकिन आम तौर पर संदर्भित करता है

आचरण का एक क्रम। इस तरह का आचरण एक पर फैल सकता है

समय की अवधि. प्रभाव के बीच निकट और जीवित संबंध

दहेज की मांग के आधार पर क्रूरता और परिणामी

ऐसे आधार पर दहेज, क्रूरता या उत्पीड़न की मांग मांग और मृत्यु की तारीख बहुत दूर नहीं होनी चाहिए

समय जो, परिस्थितियों में, होने के रूप में माना जाए

काफी बासी हो जाओ। "

( जोर दिया गया)

इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा राजिंदर सिंह बनाम में लिया गया था। पंजाब राज्य (2015) 6 एस. सी. सी. 477।

15. इसलिए, न्यायालयों को यह निर्धारित करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए कि क्या

क्रूरता या उत्पीड़न और पीड़ित की मृत्यु के बीच की अवधि "जल्द ही पहले" शब्द के भीतर आएगी। उपरोक्त निर्धारण के लिए जो महत्वपूर्ण है, वह क्रूरता और पीड़ित की परिणामी मृत्यु के बीच एक "निकट और जीवित कड़ी" की स्थापना है।

16. जब अभियोजन पक्ष यह दिखाता है कि 'उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले

महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन किया गया है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत आरोपी के खिलाफ कारण का अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद, अभियुक्त को इस वैधानिक धारणा का खंडन करना पड़ता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी निम्नानुसार हैः

ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन, या दहेज की किसी भी मांग के संबंध में, न्यायालय यह मान लेगा कि

कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या का कारण बना था।

स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजन के लिए, "दहेज मृत्यु" इसका वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में है

संहिता (1860 का 45) "

17. यह न्यायालय, बंसी लाल बनाम के मामले में। हरियाणा राज्य,

( 2011 ) 11 एस. सी. सी. 359 ने आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तत्व साबित होने के बाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत अनुमान के अनिवार्य अनुप्रयोग पर जोर दियाः

" 19. यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि विधायिका ने अपने

ज्ञान ने इस प्रकार 'इच्छा' शब्द का उपयोग किया है, जो एक अनिवार्य बना देता है उस मृत्यु का अनुमान लगाने के लिए अदालत की ओर से आवेदन

उस व्यक्ति द्वारा किया गया था जिसने उसे अधीन किया था

किसी भी मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न के लिए

दहेज। अतः उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त की जिम्मेदारी बनती है।

अनुमान का खंडन करना और धारा 113-बी के मामले में आई. पी. सी. की धारा 304-बी, विशेष रूप से और भारी बदलाव साबित करने की जिम्मेदारी

अभियुक्त के बारे में। .....

20. इसलिए, ऐसे मामलों में आवश्यक सामग्री

अभियोजन पक्ष द्वारा मृत्यु की पुष्टि की गई है, यह है न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह धारणा बनाए कि अभियुक्त

दहेज हत्या का कारण बना है "।

( जोर दिया गया)

18. इसलिए, एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा सभी आवश्यक सामग्री स्थापित हो जाती है, तो धारा 113-बी, साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुमान लगाया जाता है।

अनिवार्य रूप से अभियुक्त के खिलाफ कार्य करता है। कारणात्मकता के इस अनुमान का अभियुक्त द्वारा खंडन किया जा सकता है।

19. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत कार्य-कारण के खंडन योग्य अनुमान का उपयोग न्यायाधीशों, बचाव और अभियोजन पर अधिक जिम्मेदारी पैदा करता है। अपराध करते समय उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

आई. पी. सी. की धारा 304-बी से संबंधित विचारण। इस अनिश्चित स्थिति से निपटने के लिए, प्रक्रियात्मक कानून में कुछ सुरक्षा उपाय हैं, जिनका यहां उल्लेख किया जाना चाहिए। 20. यह गंभीर चिंता का विषय है कि अक्सर निचली अदालतें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत किसी आरोपी का बयान बहुत ही लापरवाही से दर्ज करती हैं।

और सरसरी तरीके से, अभियुक्त से विशेष रूप से सवाल किए बिना

उसका बचाव। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत किसी आरोपी की जांच को केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकता के रूप में नहीं माना जा सकता है।

क्योंकि यह निष्पक्षता के मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रावधान में प्राकृतिक न्याय के मूल्यवान सिद्धांत-"ऑडी अल्टरम पार्टेम" को शामिल किया गया है, क्योंकि यह अभियुक्त को उसके खिलाफ पेश होने वाली आपत्तिजनक सामग्री के लिए स्पष्टीकरण देने में सक्षम बनाता है। इसलिए, यह न्यायालय की ओर से एक दायित्व अधिरोपित करता है कि वह सावधानी और सावधानी के साथ अभियुक्त से निष्पक्ष रूप से पूछताछ करे। न्यायालय को अभियुक्त के सामने दोषपूर्ण परिस्थितियों को रखना चाहिए और उसका जवाब मांगना चाहिए। अभियुक्त के वकील पर यह भी कर्तव्य डाला गया है कि वह मुकदमे की शुरुआत से ही, आई. पी. सी. की धारा 304-बी, जिसे धारा 113-बी, साक्ष्य अधिनियम के साथ पढ़ा जाता है, की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए उचित सावधानी के साथ अपना बचाव तैयार करे।

21. धारा 232, सी. आर. पी. सी. महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें कहा गया है, "यदि अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य लेने के बाद, अभियुक्त की जाँच की जाए। और इस मुद्दे पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को सुनकर, न्यायाधीश मानता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, न्यायाधीश बरी होने का आदेश दर्ज करेगा। एक बार जब विचारण न्यायालय निर्णय लेता है कि अभियुक्त के अनुसार बरी होने का पात्र नहीं है

धारा 232, सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार, इसे आगे बढ़ना चाहिए और विशेष रूप से 'बचाव साक्ष्य' के लिए सुनवाई तय करनी चाहिए, जिसमें आरोपी को धारा 233, सी. आर. पी. सी. के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए, जो आरोपी को प्रदान किया गया एक अमूल्य अधिकार भी है। इस तरह के प्रक्रियात्मक अधिकार का अस्तित्व सुसंगत रूप से खंडनीय अनुमान के साथ बैठता है जैसा कि धारा 113-बी, साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है।

22. आई. पी. सी. की धारा 304-बी से संबंधित दूसरा विवादास्पद भाग यह है कि यह मृत्यु को सतबीर सिंह और एक और बनाम के रूप में वर्गीकृत करने में एक कबूतर छेद दृष्टिकोण नहीं लेता है।

हरियाणा राज्य [एन. वी. रमना, सीजेआई]

हत्या या आत्महत्या या आकस्मिक, जैसा कि पहले किया गया था। इस तरह के गैर-वर्गीकरण का कारण इस तथ्य के कारण है कि "सामान्य परिस्थितियों की तुलना में अन्यथा" होने वाली मृत्यु, मामलों में, हत्या या आत्महत्या या आकस्मिक हो सकती है। हालाँकि, आई. पी. सी. की धारा 304-बी उन स्थितियों को भी संबोधित करने का प्रयास करती है जहाँ हत्या या आत्महत्या को दुर्घटनाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

या उसके रिश्तेदार को "उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा" जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए। यह धारा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि दहेज मृत्यु का अपराध क्या है और एकल अपराधी या कई अपराधियों की भी पहचान करती है जिन्होंने दहेज मृत्यु की है या जिसका कारण बना है। [ माया देवी बनाम का संदर्भ लें। हरियाणा राज्य, (2015) 17 एस. सी. सी. 405, शांति बनाम। हरियाणा राज्य (1991) 1 एस. सी. सी. 371] 24. आई. पी. सी. की धारा 304-बी पर कानून का पालन करने के बाद, अब हम इस मामले के गुण-दोष की ओर रुख कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि प्रस्तुतियाँ

25. मृत्यु के कारण के संबंध में, डॉक्टर (पी. डब्ल्यू. 3) ने मृतक के शरीर पर मिट्टी के तेल की गंध पाई, जो पीड़ित था। 85 % जलती हुई चोटें। इसलिए, वर्तमान मामले में, मृतक पीड़ित ने जलने से दम तोड़ दिया। चूँकि मृत्यु विवाह के सात वर्षों के भीतर जलने की चोटों से संबंधित थी, यह स्पष्ट रूप से अपराध के पहले दो घटकों को संतुष्ट करता है।

26. दहेज की माँग के मुद्दे पर आते हुए, अभिलेख पर साक्ष्य इंगित करता है कि जब मृतक का भाई (पी. डब्ल्यू. 7) उससे मिलने आया था।

शादी के एक महीने बाद रक्षा बंधन के अवसर पर, मृतक ने खुलासा किया था कि आरोपी, पति और सास, अपर्याप्त दहेज लाने के कारण उसे शारीरिक रूप से परेशान करते थे। इसके अलावा, अभियुक्त व्यक्तियों ने स्कूटर की एक विशिष्ट मांग की थी। इस प्रकटीकरण के अनुसार, उसे उसके पैतृक घर वापस लाया गया जहां इस तथ्य का खुलासा मृतक के पिता (पी. डब्ल्यू. 6) को किया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि मृतक अपनी मृत्यु से केवल एक महीने पहले अपने वैवाहिक घर लौटी थी। लेकिन फिर भी आरोपी दहेज के लिए मृतक को परेशान करता था।

इस तथ्य का खुलासा मृतक ने अपने पिता को तब किया जब वह उनसे मिलने आई थी।

27. यहां इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि मृत्यु से ठीक एक सप्ताह पहले, तीज त्योहार के अवसर पर, मृतक का एक और भाई (P.W.10) उससे मिलने आया था, जब वह अपने वैवाहिक घर में थी। मृतक ने अपने भाई को अपनी दुर्दशा दोहराई थी। इसके बाद, 31.07.1995 पर, मृतक के पिता को कुछ ग्रामीणों ने सूचित किया कि उनकी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहुंचने पर पिता को पता चला कि मृतक की जलने से मौत हो गई। उपरोक्त परिस्थितियों की श्रृंखला यह साबित करती है कि दहेज की मांग और मृतक की मृत्यु के उदाहरणों के बीच एक जीवित और निकट संबंध था। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय, उपरोक्त गवाहों की बारीकी से सराहना करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बयान पुष्टिकारक और सुसंगत थे। उन्होंने गवाहों को विश्वसनीय पाया और उसी के आधार पर कहा कि मृतक को उसकी मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता का शिकार होना पड़ा क्योंकि वह पर्याप्त दहेज लाने में विफल रही थी। हम निचली अदालत और उच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हैं।

29. अतः उपरोक्त अनुमान का खंडन करने का भार अभियुक्त पर पड़ता है। अपीलार्थियों के वकील ने हमारे सामने प्रचार किया है कि यह आकस्मिक मृत्यु का मामला था, और इसलिए उन पर कोई दायित्व तय नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, अभियुक्त व्यक्ति यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहे कि मृत्यु दुर्घटनावश हुई थी या अभियुक्त व्यक्तियों से असंबद्ध थी। 30. यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डॉक्टर के साक्ष्य के अनुसार मृतक के पूरे शरीर पर मिट्टी का तेल डाला गया था

तेल। इसलिए, दुर्घटना की संभावना को सुरक्षित रूप से खारिज किया जा सकता है। जैसा कि निचली अदालत ने निष्कर्ष निकालाः

" ये सभी परिस्थितियाँ साबित करती हैं कि या तो मृत उसने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली या आरोपी या किसी और द्वारा उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जला दिया गया और आरोपी के विद्वान वकील द्वारा दुर्घटना का अनुरोध करने की कोशिश की गई, जो बिल्कुल भी साबित नहीं हुई है।

31. इसलिए, धारा 113-बी, साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया अनुमान इस विशेष मामले में पूरी तरह से प्रभावी होता है, जिसका यहां अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा खंडन नहीं किया गया है। अपीलार्थी हमारे लिए समवर्ती राय में हस्तक्षेप करने का मामला बनाने में विफल रहे हैं

निचली अदालतें, आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषी ठहराती हैं।

मुद्दा II

32. आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत अपनी दोषसिद्धि के अलावा, अपीलकर्ताओं ने धारा के तहत अपनी दोषसिद्धि को भी चुनौती दी।

306 , आईपीसी. आई. पी. सी. की धारा 307 आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है और इसे नीचे निकाला गया हैः

" 306.आत्महत्या के लिए उकसाना। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है,

जो कोई इस तरह की आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो

इसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

33. प्रावधान के एक खाली पढ़ने से संकेत मिलता है कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए अभियोजन पक्ष को पहले यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि

आत्महत्या की गई है। दूसरा, अभियोजन पक्ष को यह भी साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया था,

उसी में सक्रिय भूमिका निभाई है। इस उत्तरार्द्ध के संबंध में

आवश्यकता, धारा 113-ए, साक्ष्य अधिनियम कुछ शर्तों के तहत एक विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में पति और/या उसके रिश्तेदार के खिलाफ एक धारणा बनाता है। अन्य शर्तों में नहीं जाते हुए, प्रावधान का अवलोकन इंगित करता है कि ऐसी धारणा केवल तभी आकर्षित होगी जब अभियोजन पक्ष द्वारा आत्महत्या का तथ्य पहले स्थापित किया गया हो। इस अदालत ने वजीर चंद बनाम में आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक सामग्री पर विचार किया था। हरियाणा राज्य, (1989) 1 एस. सी. सी. 244, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 5. ..... धारा306 और 307 (एस. आई. सी. 107) को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है।

और इस तरह के उकसावे के परिणामस्वरूप दूसरा व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, उकसाने वाला व्यक्ति [2021] 7 एस. सी. आर. के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी है।

आयोग को उकसाने के लिए दंड संहिता, 1860 की धारा 376 आत्महत्या। इस प्रावधान के एक सादे अध्ययन से पता चलता है कि पहले

किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया जा सकता है।

अन्य व्यक्ति, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि ऐसा अन्य व्यक्ति उन्होंने आत्महत्या कर ली "।

( जोर दिया गया)

34. वर्तमान मामले में, निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने

निष्कर्ष निकाला कि मृतक ने आत्महत्या कर ली। तथापि, हमारी यह सुविचारित राय है कि निम्नलिखित न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं - यह मान्यताओं पर आधारित है, क्योंकि इसका समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। इस संबंध में विचारण न्यायालय का तर्क इस प्रकार हैः

" इसके अलावा, इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि

अभियोजन पक्ष (एस. आई. सी.) किसी भी आरोपी ने छिड़काव करके मौत का कारण बना

मृतक के शरीर पर मिट्टी का तेल, एकमात्र संभावना है कि मीना कुमारी ने मिट्टी का तेल छिड़ककर अपने जीवन का अंत कर दिया।

उसका शरीर।

35. इस तथ्य के प्रकाश में कि अपर्याप्त सबूत थे

आत्महत्या के तथ्य को उचित संदेह से परे साबित करते हुए, धारा 113-ए, साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुमान, अभियोजन पक्ष के लिए बहुत मददगार नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त सबूत पेश करके मृतक के आत्महत्या करने के आवश्यक घटक को साबित नहीं किया गया है। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि मौत आत्महत्या के कारण हुई है। इसलिए, हमारी राय है कि आई. पी. सी. की धारा306 के तहत अपीलार्थियों को दोषी ठहराने वाले न्यायालयों के निष्कर्ष इस न्यायालय के हस्तक्षेप के योग्य हैं।

निष्कर्ष 36. पुनरावृत्ति की कीमत पर, आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत कानून

धारा 113-बी के साथ पढ़े जाने पर साक्ष्य अधिनियम का सारांश नीचे दिया जा सकता हैः

आई. पी. सी. की धारा 304-बी की व्याख्या इस बात को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए कि

आई.

दुल्हन को जलाने की सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाने के लिए विधायी इरादा और दहेज की मांग।

अभियोजन पक्ष को सबसे पहले अस्तित्व स्थापित करना चाहिए

ii.

धारा 304-बी, IPC.Once इन अवयवों को संतुष्ट किया जाता है, धारा के तहत प्रदान की गई कार्य-कारणता की खंडन योग्य धारणा

113 - बी, साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त के खिलाफ काम करता है।

टिबिर सिंह और एक और वी। हरियाणा राज्य [एन. वी. रमना, सीजेआई]

आई. पी. सी. की धारा 304-बी में दिखाई देने वाले वाक्यांश "जल्द ही पहले" का अर्थ "तुरंत पहले" नहीं माना जा सकता है। अभियोजन पक्ष को दहेज हत्या और पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग के लिए क्रूरता या उत्पीड़न के बीच "निकट और जीवित संबंध" का अस्तित्व स्थापित करना चाहिए।

113-बी, साक्ष्य अधिनियम, न्यायाधीशों, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को मुकदमे के संचालन के दौरान सावधान रहना चाहिए। यह गंभीर चिंता का विषय है कि, अक्सर, निचली अदालतें अभियुक्त से विशेष रूप से पूछताछ किए बिना, बहुत ही अनौपचारिक और सरसरी तरीके से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करती हैं।

उसकी रक्षा के बारे में। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत किसी आरोपी की जांच को केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकता के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह निष्पक्षता के मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। इस उपरोक्त प्रावधान में शामिल हैं -

न्यायालय को अभियुक्त के सामने दोषपूर्ण परिस्थितियों को रखना चाहिए और उसका जवाब मांगना चाहिए। अभियुक्त के वकील पर यह भी कर्तव्य डाला गया है कि वह मुकदमे की शुरुआत से ही अपने बचाव को तैयार करे, जिसमें धारा 304-बी, आई. पी. सी. की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए धारा 113-बी, साक्ष्य अधिनियम के साथ पढ़ा जाता है। धारा 232, सी. आर. पी. सी. में प्रावधान है कि, "यदि अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य लेने, अभियुक्त की जांच करने और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को इस मुद्दे पर सुनने के बाद, न्यायाधीश मानता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो न्यायाधीश [2021] 7 एस. सी. आर. का आदेश दर्ज करेगा।

दोषमुक्त "। इस तरह के विवेकाधिकार का उपयोग विचारण न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिए।

सर्वोत्तम प्रयासों के दायित्व के रूप में। एक बार जब निचली अदालत फैसला करती है कि आरोपी पात्र नहीं है

ix.

धारा 232, सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार बरी होने के लिए, इसे आगे बढ़ना चाहिए और विशेष रूप से बचाव के लिए सुनवाई तय करनी चाहिए।

'साक्ष्य', अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए कहता है,

जो अभियुक्त को प्रदान किया गया एक अमूल्य अधिकार भी है। उसी सांस में, निचली अदालतों को अन्य को संतुलित करने की आवश्यकता है

एक्स.

त्वरित सुनवाई के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विचार। इस संबंध में, हम सावधान कर सकते हैं कि उपरोक्त प्रावधानों को देरी की रणनीति के रूप में दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उपरोक्त के अलावा, पीठासीन न्यायाधीश को इसका पालन करना चाहिए

xi.

सजा सुनाते समय और उचित सजा देते समय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश।

xii. निस्संदेह, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, दहेज हत्या का खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। लेकिन यह भी देखा गया है कि

कभी-कभी पति के परिवार के सदस्यों को शामिल किया जाता है, भले ही उनकी अपराध करने में कोई सक्रिय भूमिका न हो और वे दूर-दराज के स्थानों पर रह रहे हों। इन मामलों में न्यायालय को अपने दृष्टिकोण में सतर्क रहने की आवश्यकता है।

37. उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, प्रासंगिक सामग्री और उपलब्ध साक्ष्य को देखने के बाद, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय

अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं हुई है क्योंकि अपीलार्थी धारा 113-बी, साक्ष्य अधिनियम के तहत बोझ का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। हालांकि, तथ्यों की सराहना पर और

परिस्थितियों में हमारी राय है कि आई. पी. सी. की धारा306 के तहत अपराध नहीं बनाया गया है। इसलिए हम आई. पी. सी. की धारा306 के तहत दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार करते हैं।

38. उपरोक्त सीमा तक अपीलों की अनुमति दी गई। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन